

सं. 20003/01/2024-रा.भा. (का.-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

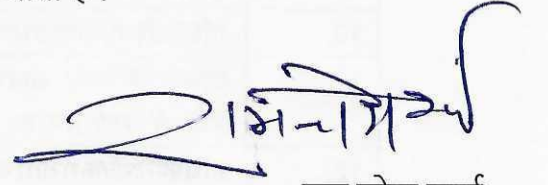
एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 17 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अंक तालिका में संशोधन के संबंध में।

कृपया दिनांक 19/03/2025 को जारी समसंख्यक पत्र का सन्दर्भ लें।

- वर्ष 2025-26 से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे व अंक तालिका में कतिपय संशोधन किए गए हैं। संशोधित अंक तालिका संलग्न है।
- यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(राम नरेश शर्मा)
निदेशक (का.)
011-23438129

संलग्न:- यथोपरि।

प्रति:-

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम/नराकास/स्वायत्त संस्थान/संवैधानिक निकाय आदि।
- सभी नराकासों के अध्यक्ष।
- राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
- निदेशक (तकनीकी), NIC को विभाग के वेबसाइट पर जारी करने के अनुरोध के साथ।



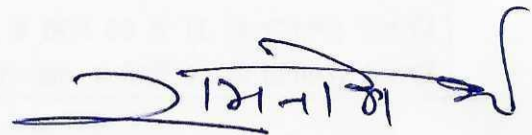
मंत्रालयों/विभागों आदि के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों हेतु अंक तालिका
(वर्ष 2025-2026 से लागू)

क्र.सं.	मद	प्रस्तावित अंक
राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन करने पर पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।		
1.	माननीय मंत्री जी को हिंदी में प्रेषित फाइलों का ब्यौरा	20
2.	सचिव/समकक्ष स्तर पर आयोजित बैठकों का ब्यौरा : कितनी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में जारी की गई	20
3.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। इस मद का शतप्रतिशत अनुपालन न होने की दशा में - 10 अंक (Negative marks) दिए जाएंगे)	20 (-20)
4.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)	10
5.	मूल रूप से हिंदी में पत्राचार करना	50
6.	फाइलों/ई-ऑफिस फाइलों में हिंदी टिप्पण करना	30
7.	हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना	20
8.	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करना	28
9.	हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करना	24
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों का राजभाषा ज्ञान एवं प्रशिक्षण	10
11.	टंकको/लिपिकों/ सहायक अनुभाग अधिकारी /निजी सहायकों /आशुलिपिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना	20
12.	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना	30
13.	कोड/मैनुअल आदि का द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी में) होना	10
14.	सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी करना	10
15.	वर्ष के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना	30
16.	पत्र-पत्रिकाओं आदि का हिंदी में प्रकाशन	20
17.	उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य करना	24
18.	उप सचिव/समकक्ष के नीचे के स्तर के कर्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना	16
19.	वेबसाइट पूरी तरह द्विभाषी, संपूर्ण अद्यतन रखना, वेबसाइट खुलते समय हिंदी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प	05
20.	- हिंदी दिवस/पखवाड़ा/माह, आदि का आयोजन 02 अंक - हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन 01 अंक - अन्य आयोजन (कवि सम्मेलन, सम्मेलन आदि) 01 अंक - नवोन्मेषी कार्य (यदि कोई हो) 01 अंक	05
21.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट का पूरा विवरण अपलोड करना तिमाही समाप्ति के 30 दिनों के अंदर 18 अंक तिमाही समाप्ति के 31 से 60 दिनों के अंदर 9 अंक तिमाही समाप्ति के 61 दिनों के बाद -18 अंक	18
कुल अंक		420

2 मिन/गि/र/

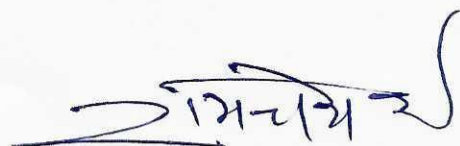
**मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संस्थाओं के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय राजभाषा
पुरस्कारों हेतु अंक तालिका
(वर्ष 2025-2026 से लागू)**

क्र.सं.	मद	प्रस्तावित अंक
राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन करने पर पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।		
1.	कार्यालय प्रमुख या समकक्ष स्तर पर आयोजित बैठकों का ब्यौरा	20
2.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। इस मद का शतप्रतिशत अनुपालन न होने की दशा में - (minus) 20 अंक (Negative marks) दिए जाएंगे)	20 (-20)
3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)	10
4.	मूल रूप से हिंदी में पत्राचार करना	50
5.	फाइलों/ई-ऑफिस फाइलों में हिंदी टिप्पण करना	30
6.	हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना	20
7.	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करना	32
8.	अधिकारियों/कर्मचारियों का राजभाषा ज्ञान एवं प्रशिक्षण	10
9.	टंकको/लिपिकों/ सहायक अनुभाग अधिकारी /निजी सहायकों /आशुलिपिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना	20
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना	30
11.	सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी करना	10
12.	वर्ष के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना	30
13.	पत्र-पत्रिकाओं आदि का हिंदी में प्रकाशन	24
14.	- हिंदी दिवस/पखवाड़ा/माह, आदि का आयोजन 02 अंक - हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन 01 अंक - अन्य आयोजन (कवि सम्मेलन, सम्मेलन आदि) 01 अंक - नवोन्मेषी कार्य (यदि कोई हो) 01 अंक	05
15.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट का पूरा विवरण अपलोड करना तिमाही समाप्ति के 30 दिनों के अंदर 18 अंक तिमाही समाप्ति के 31 से 60 दिनों के अंदर 9 अंक तिमाही समाप्ति के 61 दिनों के बाद -18 अंक	18
कुल अंक		329



**सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संस्थाओं के मुख्यालयों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों हेतु
अंक तालिका
(वर्ष 2025-2026 से लागू)**

क्र.सं.	मद	प्रस्तावित अंक
राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन करने पर पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।		
1.	कार्यालय प्रमुख - सीएमडी/समकक्ष स्तर पर आयोजित बैठकों का ब्यौरा	20
2.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। इस मद का शतप्रतिशत अनुपालन न होने की दशा में - (minus) 20 अंक (Negative marks) दिए जाएंगे)	20 (-20)
3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)	10
4.	मूल रूप से हिंदी में पत्राचार करना	50
5.	फाइलों/ई-ऑफिस फाइलों में हिंदी टिप्पण करना	30
6.	हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना	20
7.	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करना	32
8.	अधिकारियों/कर्मचारियों का राजभाषा ज्ञान एवं प्रशिक्षण	10
9.	टंकको/लिपिकों/ सहायक अनुभाग अधिकारी /निजी सहायकों /आशुलिपिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना	20
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना	30
11.	कोड/मैनुअल आदि का द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी में) होना	10
12.	सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी करना	10
13.	वर्ष के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना	30
14.	पत्र-पत्रिकाओं आदि का हिंदी में प्रकाशन	20
15.	उप महाप्रबंधक/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य करना	24
16.	उप महाप्रबंधक/समकक्ष के नीचे के स्तर के कर्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना	16
17.	वेबसाइट पूरी तरह द्विभाषी, संपूर्ण अद्यतन रखना, वेबसाइट खुलते समय हिंदी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प	05
18.	- हिंदी दिवस/पखवाड़ा/माह, आदि का आयोजन 02 अंक - हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन 01 अंक - अन्य आयोजन (कवि सम्मेलन, सम्मेलन आदि) 01 अंक - नवोन्मेषी कार्य (यदि कोई हो) 01 अंक	05
19.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट का पूरा विवरण अपलोड करना तिमाही समाप्ति के 30 दिनों के अंदर 18 अंक तिमाही समाप्ति के 31 से 60 दिनों के अंदर 9 अंक तिमाही समाप्ति के 61 दिनों के बाद -18 अंक	18
कुल अंक		380



**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों एवं
नराकास राजभाषा सम्मान के लिए अंक तालिका**

(वर्ष 2025-2026 से लागू)

क्रम संख्या	मानदण्ड	प्रस्तावित अंक
1.	समिति द्वारा बैठकों का आयोजन (कैलेंडर के अनुसार नियमित रूप से वर्ष में दो बैठकें)।	20
2.	कार्यसूची जारी करना	05
3.	कार्यवृत्त जारी करना	10
4.	रिपोर्टों की समीक्षा करना	20
5.	बैठकों में सदस्य-कार्यालयों/प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति	35
6.	कार्यवृत्त की मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई	20
7.	समिति द्वारा हिंदी दिवस/पखवाड़ा मनाना, अंक अन्य हिंदी समारोह/कवि सम्मेलन/संगोष्ठी आदि का आयोजन करना, पत्रिका आदि का प्रकाशन करना तथा चल वैजयंती शील्ड प्रतियोगिता का आयोजन करना	05
8.	बैठक का पूरा विवरण अपलोड करना 20 दिनों के अंदर - 10 अंक 20-30 दिनों के अंदर - 06 अंक 31-45 दिनों के अंदर - 02 अंक 46 दिनों या इस के बाद - 0 अंक	10
	कुल अंक -	125

